

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2020—आषाढ़ 12, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 मई 2020

क्रमांक एफ 5-8/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द सिंह चंदेल, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 17 फरवरी, 2020 से 20 फरवरी, 2020 (04 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 15-02-2020 तथा 16-02-2020 तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 21-02-2020 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 मई 2019

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2020 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-57/गृह-सी/परीक्षा/2020.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा दिनांक 24 अगस्त, 2020 से दिनांक 29 अगस्त, 2020, तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 24-08-2020

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1. पहला प्रश्न पत्र-दाण्डक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).		
3. विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).		
4. विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).		
5. पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		
59. विद्युत संबंधी विधियाँ-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)		
सोमवार, दिनांक 24-08-2020		
6. दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7. दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		
8. प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.		
60. भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).		

मंगलवार, दिनांक 25-08-2020

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“बी”.	
11.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“सी”.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
मंगलवार, दिनांक 25-08-2020		
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

बुधवार, दिनांक 26-08-2020

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” पुलिस अधिकारियों के लिए.	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
बुधवार, दिनांक 26-08-2020		
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की “पुलिस शाखा” प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) के पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया उर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि.सु) के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

गुरुवार, दिनांक 27-08-2020

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित), नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
गुरुवार, दिनांक 27-08-2020		
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शुक्रवार, दिनांक 28-08-2020		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
शुक्रवार, दिनांक 28-08-2020		
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
शनिवार, दिनांक 29-08-2020		
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.
3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे।

इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें। संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 25-07-2020 तक भेजेंगे। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 1-93/2010/नौ/17-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“11.	विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे लैब अटेन्डेन्ट, ओ.टी. अटेन्डेन्ट, उच्च क्षेत्र कार्यकर्ता (सुपीरियर फील्ड वर्कर), क्षेत्र कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर), परिचारक वार्डव्वाय या अन्य चतुर्थ श्रेणी के पद तथा केन्द्रीय प्रयोगशाला के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी.	प्रयोगशाला सहायक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेन्डरी या कक्षा 10वीं (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये. (2) लैब अटेन्डेन्ट या ओ. टी. अटेन्डेन्ट पद पर 5 वर्ष या अन्य चतुर्थ श्रेणी पदों पर 7 वर्ष सेवा का अनुभव. (3) केन्द्रीय प्रयोगशाला के पदों हेतु केवल केन्द्रीय प्रयोगशाला के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही पात्र होंगे.	एक. केन्द्रीय प्रयोगशाला के पदों के लिये संचालनालय (मुख्यालय) स्तरीय समिति :— (1) संयुक्त संचालक (वरिष्ठतम)—अध्यक्ष, (2) संयुक्त/संचालक/उप-संचालक (मलेरिया अधिकारी)—सदस्य, (3) उप-संचालक (कार्यालय स्थापना) — सदस्य,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(4) पदोन्नति उपरान्त लैब टैक्नीशियन का विभागीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये.	(4) प्रशासनिक अधिकार— — सदस्य, दो. जिला स्तरीय पदों हेतु पदोन्नति समिति :— (1) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी — अध्यक्ष. (2) जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी — सदस्य. (3) प्रशासनिक अधिकारी— — सदस्य, (4) जिला मलेरिया अधिकारी — सदस्य. (उपरोक्त उल्लिखित चयन समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति तथा महिला सदस्य की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए, इन वर्गों के सदस्यों की अनुपलब्धता की स्थिति में, इन वर्गों से विशेष आमंत्रितियों को चयन समिति की गणपूर्ति हेतु आमंत्रित किया जायेगा.)”

No. F 1-93/2010/9/17-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendmet in the Chhattisgarh Health and Family Welfare Department Non-ministerial Para-Medical and Nursing (Directorate Health Services) Class-III Service Recruitment Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In Schedule-IV, for serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“11.	Class IV employee of the Department, Such as Laboratory Attendant, O.T. Attendant, Superior Field Worker, Field Worker, Attendant Ward-Boy or Other Class-IV posts	Laboratory Assistant	(1) Should have passed Higher Secondary or Class10th examination (10+2) from any recognized Board. (2) 5 years experience in the post of Laboratory	I. Directorate (Head-quarters) Level Committee for the post of Central Laboratory :— (1) Joint Director (Senior Most) — Chairperson.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	and Class-IV employees of Central Laboratory.		Attendant or OT Attendant or 7 year experience of service, for other Class-IV posts.	(2) Joint Director/ Deputy Director (Malaria Officer) — Member.
		(3)	Class-IV employees of Central laboratory shall only be eligible for the posts of Central Laboratory.	(3) Deputy Director (Office Establishment)— Member.
		(4)	Should have passed Departmental Laboratory Technician Training after promotion.	(4) Administrative Officer—Member.
				II. Promotion Committee for District Level posts :—
				(1) Concerned Chief Medical and Health Officer — Chairperson.
				(2) District Family Welfare and Health Officer — Member
				(3) Administrative Officer—Member
				(4) District Malaria Officer—Member
				(Availability of Scheduled Castes of Scheduled Tribes and female member in above mentioned selection committee should be ensured, in case of non-availability of members of these categories, special invitees from these categories shall be called to fulfill the quorum of the Selection Committee)”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 मई 2020

क्रमांक/एफ 1/50/2013/दो-गृह/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-03-2020 जिसके द्वारा श्री अरूण देव गौतम, (भापुसे -1992), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं जेल विभाग को दिनांक 23-03-2020 से 28-03-2020 तक (कुल 06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत अवकाश का लाभ श्री गौतम द्वारा नहीं लिये जाने के कारण राज्य शासन एतद्वारा उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 मई 2020

क्रमांक एफ 7-60/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत इस विभाग की सूचना क्रमांक 1504/2382/32/2007 दिनांक 24-07-2008 द्वारा नया रायपुर विकास योजना, 2031 अंगीकृत की गई है।

2. अधिसूचना क्रमांक एफ 7-60/2014/32 दिनांक 26-09-2018 द्वारा अटल नगर विकास योजना, 2031 के नाम से जानी जाए.
3. अधिसूचना क्रमांक एफ 1-131/2008/32 दिनांक 14-06-2019 द्वारा नवा रायपुर अटल नगर नाम से जाना जाए. अतः उक्त तिथि 14-06-2019 से नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना, 2031 के नाम से जानी जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 24 मार्च 2020

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 - (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
 - (ख) तहसील-नरहरपुर
 - (ग) नगर/ग्राम-अभनपुर
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.80 हेक्टेयर

क्रमांक/1437/वा./भू.अ./प्र.क्र./15/अ-82/2016-17.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
316	0.08
309	0.01
312	0.04
311	0.03
310	0.10

(1)	(2)
308	0.01
334	0.25
339	0.02
336	0.16
356	0.07
340	0.05
315	0.03
341	0.04
342	0.06
348	0.07
347/1	0.02
350	0.10
352	0.05
353	0.03
354	0.10
389	0.21
688	0.04
689	0.09
691	0.14
योग	24 1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायी तट नहर निर्माण के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 13 मई 2020

क्रमांक/1742/वा./भू.अ./प्र.क्र./02/अ-82/2016-17.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-कांकेर
(ग) नगर/ग्राम-नवागांव भावगीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
400	0.25
402/2	0.35
405/1	0.02
405/2	0.04
405/3	0.04
406/1	0.05
406/2	0.03
409/1	0.01
409/2	0.01
415/1	0.01
415/2	0.04
386	0.15
414	0.32
योग	13 1.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इच्छापुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 13 मई 2020

क्रमांक/1743/वा./भू.अ./प्र.क्र./03/अ-82/2016-17.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-कांकेर
(ग) नगर/ग्राम-इच्छापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	555	0.02
528	0.22	योग	36
511	0.30		2.58
510	0.02	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इच्छापुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु.	
453	0.06	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
640/698	0.03		
455	0.06		
562	0.05		
420	0.02	कांकेर, दिनांक 27 मई 2020	
428	0.03		
418	0.08	क्रमांक/1877/वा./भू.अ./प्र.क्र./14/अ-82/2017-18.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
425	0.04	अनुसूची	
423	0.03	(1) भूमि का वर्णन—	
424	0.04	(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	
426	0.04	(ख) तहसील-नरहरपुर	
456	0.15	(ग) नगर/ग्राम-सोनपुर	
413	0.15	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर	
552	0.03		
558/1	0.05		
411	0.03		
408	0.10		
546/14	0.04		
546/10	0.03		
546/7	0.20	खसरा नम्बर	रकबा
554	0.05		(हेक्टेयर में)
571	0.03	(1)	(2)
410	0.03	386	0.13
414	0.08	382	0.15
546/11	0.30	योग	02
565	0.05		0.28
563	0.01	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायी तट नहर निर्माण के लघु नहर क्रमांक 10 के निर्माण हेतु.	
561	0.03	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
559	0.05		
558/2	0.03		
560	0.07		
553	0.03	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/749.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/3855 दिनांक 24-09-2019 द्वारा सुश्री रूचि शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली जिला मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला मुंगेली का ज्ञापन क्र./8392/व.लि./2020 मुंगेली दिनांक 02-03-2020 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति में नियुक्त भारसाधक अधिकारी सुश्री रूचि शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली, जिला मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, सुश्री रूचि शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के स्थान पर श्री चित्रकांत चाली ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली, जिला मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/1102.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/3444 दिनांक 04-06-2018 द्वारा श्री यशवंत राव बागड़े, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पखांजूर को कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर का पत्र क्रमांक/1766/कले./व.लि.-2/2020 कांकेर दिनांक 14-05-2020 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर के भारसाधक अधिकारी श्री यशवंत राव बागड़े, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पखांजूर का सेवानिवृत्त हो जाने से उनके स्थान पर श्रीमती निशा नेताम मंडावी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजूर को कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री यशवंत राव बागड़े, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पखांजूर के स्थान पर श्रीमती निशा नेताम मंडावी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजूर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिनव अग्रवाल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, कोरबा, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 1 जुलाई 2020

क्रमांक/9954/स्टेनो/अपर कले./परिवहन/2020.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/6332/स्टेनो/अपरकले./परिवहन/2020 कोरबा, दिनांक 29-04-2020 एवं आदेश क्रमांक/9215/स्टेनो/अपरकले./परिवहन/2020 कोरबा, दिनांक 15-06-2020 द्वारा पाली से बिलासपुर मार्ग पर चलने वाली सभी प्रकार के कोयला वाहन एवं फ्लाईएश वाहनों के परिवहन को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था.

वर्तमान में बिलासपुर-कटघोरा मार्ग पर पाली नगर में मार्ग की स्थिति पूर्व से ही अत्यंत जर्जर हैं विगत दिवस हुए असामयिक वर्षा के कारण मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे जाम की स्थिति निर्मित बनी हुई है. उक्त मार्ग में भारी मालवाहनों के फंसने से पाली शहर में कोरोना संक्रमण की संभावना हो सकती है. अतः वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग के गड्ढों की मरम्मत होने तक आगामी आदेश तक छ.ग. मोटरयान नियम 1994 के नियम-215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाली से बिलासपुर मार्ग पर चलने वाली सभी प्रकार के कोयला वाहन एवं फ्लार्टैण्डर वाहनों के परिवहन को आज दिनांक 01 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक प्रतिबंधित किया जाता है. खाद्य पदार्थ, कृषि व अन्य अतिआवश्यक अनुमेष वाहनों को पूर्ववत् अनुमति रहेगी. साथ ही पाली पार करके जाने वाले वाहनों को पाली में रूकना प्रतिबंधित रहेगा.

उक्त मार्ग पर चलने वाले कोयला वाहन एवं फ्लार्टैण्डर परिवहन में लगे वाहन हरदीबाजार-सरईसिंगार-बलौदा मार्ग का प्रयोग वैकल्पिक आवागमन हेतु करेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

किरण कौशल,
कलेक्टर.
